



दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली के परिवर्तन हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना

वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स (प्लॉट-ए और प्लॉट-बी), सेक्टर 36,
रोहिणी, दिल्ली के लिए आरएफपी

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) रोहिणी, सेक्टर 36 नई दिल्ली में स्थित दो ज़मीन के टुकड़ों को सालाना लाइसेंस फीस के आधार पर वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स के डेवलपमेंट और ऑपरेशन करने को इच्छुक है।

DDA ने इन दोनों ज़मीन के टुकड़ों के लिए दो अलग-अलग आरएफपी पब्लिश किए हैं।

डेवलपमेंट कंट्रोल नियम MPD 2021 और यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉज़ 2016 के अनुसार होंगे।

आरएफपी की मुख्य तारीखें इस प्रकार हैं:

- आरएफपी का पब्लिकेशन - 02 जनवरी, 2026
- साइट विज़िट की तारीखें 02 जनवरी, 2026 से 19 फरवरी, 2026
- प्री-बिड की तारीख और समय - 15 जनवरी, 2026 को सुबह 11:00 बजे
- प्रश्न जमा करने की आखिरी तारीख - 16 जनवरी, 2026
- बिड जमा करने की आखिरी तारीख और समय - 20 फरवरी, 2026 को दोपहर 12:00 बजे

आरएफपी और लाइसेंस डीड यहां से डाउनलोड किए जा सकते हैं:

<https://dda.gov.in/tenders>

मुख्य साइट विवरण:

भूमि क्षेत्र

प्लॉट A-10.43 एकड़

प्लॉट B-12.73 एकड़

साइट निर्देशांक

प्लॉट A-28.7579678, 77.0608072

प्लॉट B-28.7560918, 77.0589491

एफएआर

प्लॉट A-80

प्लॉट B-80

ग्राउंड कवरेज

प्लॉट A-60%

प्लॉट B-60%

भूमि की स्थिति

प्लॉट A-खाली

प्लॉट B-खाली

आवंटन का तरीका

लाइसेंस फीस के आधार पर

लाइसेंस अवधि

45 साल (कंस्ट्रक्शन की अवधि सहित)

साइट विज़िट के लिए कृपया संपर्क करें:

मोहित पाराशर, (ईई) डीडीए +919971154443 पर

पूछताछ हेतु संपर्क करें :

डॉ. मन्नान अख्तर, आईएएस, आयुक्त (एलडी), डीडीए +91 11 2469 8350 पर